न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : GCMS NO 2024/278

दायरा तिथि : 22.06.2021

आदेश तिथि : 30-12-25

प्रार्थीगण :–

1. करमाराम पुत्र जोराराम जाति मेघवाल (मेगवंशी)
2. रूपाराम पुत्र खंगारराम जाति मेघवाल (मेगवंशी)

निवासीगण पुनाडिया तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

ब ना म

अप्रार्थी :–

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

दिनांक : 30/12/25

आदेश

प्रार्थीगण ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर स्वयं की धारित खातेदारी भूमि **ग्राम पुनाडिया पटवार हल्का, कोटबालियान** तहसील बाली के खसरा नंबर 613/667 रकबा 0.54 हैक्टर व खसरा नंबर 622/4 रकबा 0.28 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल व जाव सोयम में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम पुनाडिया पटवार हल्का कोटबालियान तहसील बाली के खसरा नंबर 613 रकबा 0.79 हैक्टर व खसरा नंबर 613/692 रकबा 1.14 हैक्टर किस्म बारानी दोयम मे से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शे में मार्क A से B दर्शित मार्ग से 15 फीट चौडा नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, मुण्डारा ने जरिये पत्रांक : राजस्व/2025/3318 दिनांक 29.11.2025 से रेकर्ड व मौका स्थिति की जांच कर रिपोर्ट पेश की। तहसीलदार, बाली की जांच रिपोर्ट अनुसार :–

1. यह हैं कि प्रार्थीगण क खेत से कटान मार्ग तक आवागन हेतु अन्य कोई भी वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं हैं। प्रस्तावित रास्ता ही एकमात्र विकल्प हैं। वर्तमान में आवेदक द्वारा मौके पर खसरा नंबर 613/692, 613 मेंसे आवागमन किया जा रहा हैं।
2. यह हैं कि आवेदक द्वारा प्रस्तावित रास्ता किसी सडक अथवा किसी कटान मार्ग से न्यूनतम दूरी का हैं। इससे कम दूरी का रास्ता मौके पर उपलब्ध नहीं हैं एवं प्रस्तावित रास्ता मौके पर प्रचलित हैं।
3. यह हैं कि आवेदित रास्ते हेतु प्रस्तावित हो रही भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है:–

क्रं. सं0	खसरा नं.	रकबा (हैक्टर में)	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल	नाम खातेदार
1	613/692	1.14	बा.दो.	168X6=1008 वर्गमीटर	राजस्थान सरकार

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी,बाली

पेज लगातार........02

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : GCMS NO 2024/278
अनवान करमाराम वगैरा बनाम राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी)
तहसीलदार, बाली
अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

4. यह हैं कि प्रस्तावित रास्ते हेतु उपयोग में आने वाली भूमि पर कोई भी निर्माण, ढाणी या पुराना पेड वगैरा नहीं हैं।
5. यह हैं कि भू0अ0 निरीक्षक, मण्डारा की रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित भूमि की डी.एल.सी.दर 174000/–रूपये प्रति हैक्टर हैं।

तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण में वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण श्री मगाराम चौहान ने बहस में तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से सहमति व्यक्त करते हुये आवेदक की खातेदारी में आवागमन के लिये नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने की दलील दी।

इस संबध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251–(ए) के प्रावधानो का अध्ययन किया गया। धारा 251(ए)– अन्य खातेदार की जोत मेंसे होकर भूमिगत् पाईपलाइन बिछाना या **नया मार्ग खोलना या विद्‌यमान मार्ग का विस्तार करना (1) जहां (ख) कोई अभिधारी या अभिधारियों** का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतो तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत मेंसे होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौडा करना चाहता है:–
और मामला पारस्परित सहमति से तय नहीं होता है, तो एक अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविध के लिए सम्बन्धित **उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेगें** और उपखण्ड अधिकारी, यदि **संक्षिप्त जांच के पश्चात्** उसका समाधान हो जाता है कि:–
(1) यह आवश्यकता (**absoulute necessity**) **आत्यंतिक आवश्यकता** है और यह केवल जोत के **सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं** है, और
(11) अन्य खातेदार की जोत मेंसे होकर विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में पहुंचने के **वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्व किया गया** है।

इस प्रकार प्रार्थीगण के उक्त प्रकरण में तहसीलदार, बाली व निरीक्षक भू0अ0 मुण्डारा अपनी जांच रिपोर्ट में यह स्वीकार करते हैं कि प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि तक पहुॅच के लिये प्रस्तावित मार्ग के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। जिससे तहसीलदार, बाली की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण को उनकी खातेदारी भूमि तक पहुॅच के लिये नया मार्गा उपलब्ध कराया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत हैं।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप–6) के परिपत्र क्रमॉकःप.3(52) राज–6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम पुनाडिया पटवार हल्का कोटबालियान तहसील बाली के खसरा नंबर 613/667 रकबा 0.54 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम पुनाडिया पटवार हल्का कोटबालियान तहसील बाली के खसरा नंबर 613/692 रकबा 1.14 हैक्टर में से **1008 वर्गमीटर** रास्ता हेतु नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए **तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश** दिये जाते है।

राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :–

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

पेज लगातार.......03

//03//

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : GCMS NO 2024/278

अनवान करमाराम वगैरा बनाम राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षैत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व.मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि की डी.एल.सी. दर 174000/—रूपये प्रति हैक्टेयर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
613/692	1.14	168X06= 1008वर्गमीटर	17.4	**17540X2= 35078**	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार राशि 35078/— (अक्षरे पैतीस हजार एक अठहत्तर रूपये मात्र) रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर राशि तहसील कार्यालय में जमा करवाई जायेगी। तहसीलदार बाली द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जायेगा।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी ★ जिला - पाली (राज.)

(दिनेश बिश्नोई)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली
बाली

क्रमांक/कोर्ट/2025/1601 – 1605

दिनांक : 30-12-2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थः—

1. .तहसीलदार, देय प्रतिकर राशि संबंधित मद में जमा की सुनिश्चितता करें।
2. निरीक्षक भू0अ0 मुण्डारा
3. पटवारी हल्का, कोटबालियान
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक करमाराम पुत्र जोराराम जाति मेघवाल निवासी पुनाडिया तहसील बाली वगैरा को सूचनार्थ।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

राजस्थान सरकार

NIC-BHUNAKSHA

खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतिलिपि)

दिनांक : 17/09/2025 02:02:56 PM

जिला : पाली | तहसील : बाली | भू. अ. नि. क्षेत्र : मुण्डारा

पटवारी हल्का : कोटबालीयान | ग्राम : पुनाडीया

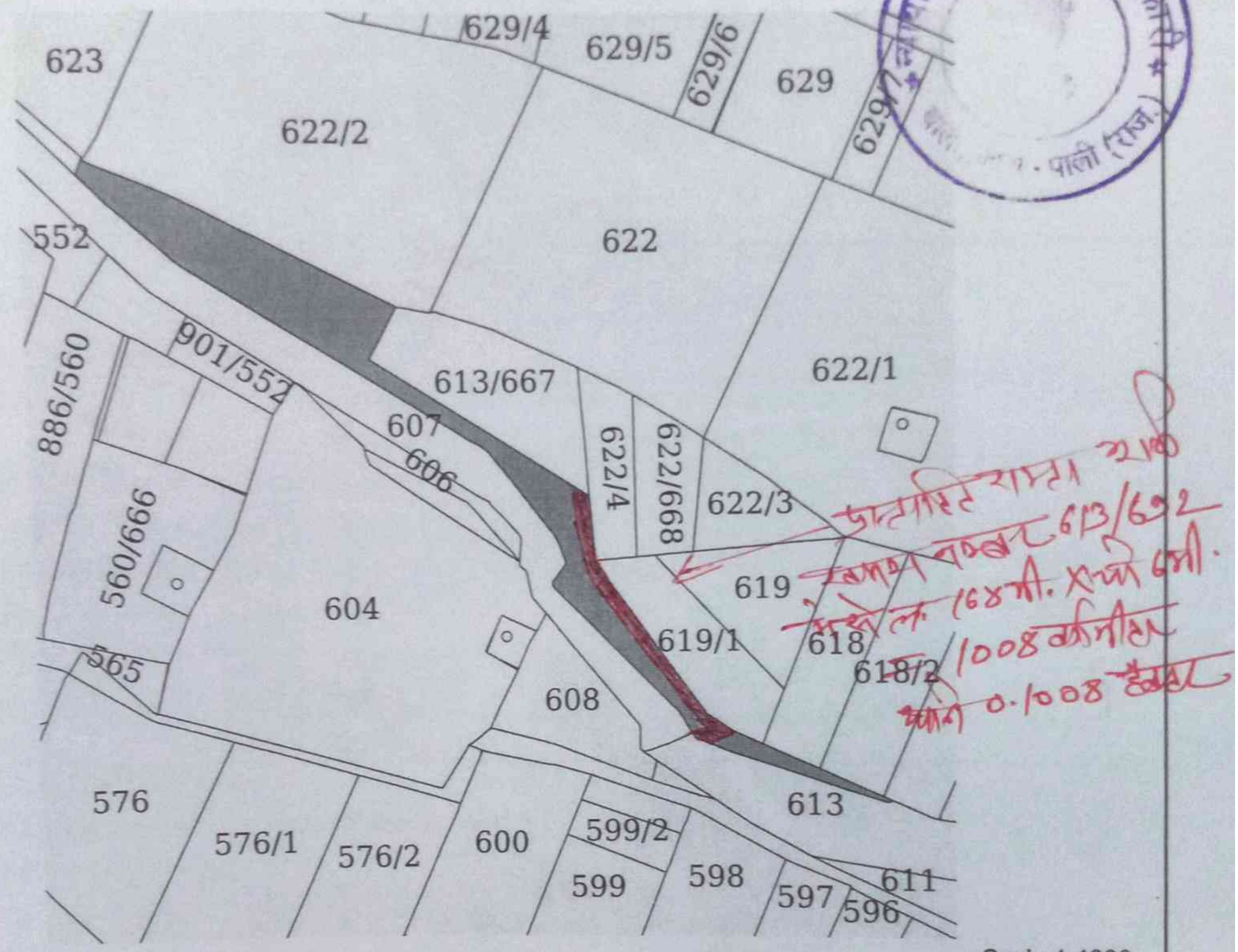

Scale 1:4000

खसरा संख्या :613/692 क्षेत्रफल : 1.1400 Hectare खाता संख्या : 1पुराना खाता संख्या : 1

भूमि किस्म[क्षेत्रफल लगान]: बारानी दोयम [1.1400, 5.70]

राज. सरकार

दिनेश मेघवाल

पटवारी (भू.अ.)

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं सील

तहसील – बाली, जिला-पाली (राज.)

तहसीलदार बाली

नोट :- १. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

२. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

३. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।